"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्रपद 15, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जुलाई 2024

क्रमांक ई 1-10/2020/एक-2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आबंटन वर्ष के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्धारण किये जाने के लिये आयोजित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री राजेश सुकुमार टोप्पो के संबंध में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था. पूर्णविचार उपरांत राज्य शासन द्वारा श्री टोप्पो की पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे में की गई अनुशंसा को खोले जाने का निर्णय लिया गया. छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री टोप्पों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिये योग्य पाया गया है. अतएव अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2005 बैच के अधिकारी श्री राजेश सुकुमार टोप्पो को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

(2005) के अधिसमय वेतनमान में देय पदोन्नति दिनांक 01-01-2021 से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में पदोन्नत करते हुए सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. यह पदोन्नति इस शर्त पर दी जाती है, कि वे Mid Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक एफ 8-1/2024/11/(6).—इंडियन बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-1 बॉयलर पंजीयन क्रमांक सी.जी. 489 को दिनांक 17-08-2024 से 16-10-2024 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भित बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. पवार, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक 2140/2043/21-ब/छ.ग./2024.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गजानंद मीनपाल, अतिरिक्त लोक अभियोजक (FTC), धमतरी, की सेवाएं समाप्त करते हुये उनके स्थान पर श्री शिव कुमार ओझा को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 18 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक (FTC), धमतरी, जिला धमतरी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने

के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3142/751/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के अनुरूप देय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 10 जुलाई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10001/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	जामकछार	0.620 हेक्टेयर	हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत पूरक भू-अर्जन हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-07-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, जामकछार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत पूरक भू-अर्जन के लिये अर्जित होने पर.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. लाख

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	हसदेव बांगों परियोजना से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11037/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	नवापारा	1.863 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-08-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, नवापारा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11041/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	बिरदा	2.789 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-09-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, बिरदा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11045/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	मुढाली	1.178 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-08-2024 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, मुढाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	1
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11049/भू–अर्जन/2024.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कटकीडबरी	1.803 हेक्टेयर	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28–08–2024 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, नवापारा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं.–27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11053/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	अखरापाली	3.182 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-09-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, अखरापाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11057/भू–अर्जन/2024.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	गंगदेई	3.220 हेक्टेयर	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06–09–2024 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, गंगदेई में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं.–27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11061/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	रंगबेल	2.926 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-09-2024 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, रंगबेल में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11066/भू–अर्जन/2024.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	भर्राकुड़ा	2.139 हेक्टेयर	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03–09–2024 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, अखरापाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग लं.–27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11070/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	भलपहरी	2.020 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-09-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, कनबेरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	2
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	1
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/11074/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	दर्री	1.329 हेक्टेयर	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-08-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, दर्री में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं.-27.19 कि.मी.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	9 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	9 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 199.20 करोड़

(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत् जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2024

क्रमांक 439/01/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बोदरी	बोदरी प.ह.नं. 01	0.089	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर.	छ.ग. उच्च न्यायालय आवासीय परिसर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्रमांक/298/भू.अ./2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सक्ती
- (ख) तहसील-हसौद
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.381 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
669/1क	0.045
671/1	0.077
177/13	0.028
109/2	0.008
920	0.045
924/1	0.016
139	0.040
109/5	0.008
878/2	0.024
909/2	0.016
877/1, 917/4	0.008
888/3	0.022
924/2	0.004
888/1	0.016
885	0.004
875/1	0.008
877/3, 917/6	0.012
योग 17	0.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 28 अगस्त 2024

"प्रारूप-घ"
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 1949.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3411 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-कांशीडीह, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	कांशीडीह	873/1	0.150
			823/1	0.159
			839/3	0.087
			823/3, 474, 475	0.240
			820/2	0.004
			822	0.057
			820/1	0.090
			820/7	0.070
			820/3 ख	0.110
			820/3 क	0.050
			819	0.069
			886/4	0.049
			813/1	0.108
			888/3	0.041
			810/1	0.225
			889/1	0.067
			806	0.105
			889/4	0.114
			889/2	0.013
			805	0.272
			691	0.207
			688	0.165
			687	0.045
			621	0.195
			622/4	0.141

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			622/1	0.039
			625/1	0.285
			626/1	0.228
			160/2	0.071
			161, 162	0.081
			94/1	0.273
			94/3, 156/2, 157/2	0.120
			95	0.180
			94/2	0.075
			96/4	0.102
			92	0.018
			15/2	0.126
			91/1	0.054
			96/3	0.108
			83/1	0.135
			79/3, 80/3	0.101
			81	0.055
			79/5, 80/5	0.008
			73	0.033
			74	0.121
			72/1	0.112
			63	0.025
			61	0.135
			75	0.016
			62	0.024
			41/2	0.104
			39/4	0.016
			40/2	0.123
			40/3	0.028
			38/1	0.114
			38/2	0.114
			33	0.174
			34/1	0.105
			34/2	0.105
			16/2	0.016
			8/1	0.243
			16/3	0.055
			15/3	0.036
			16/1	0.072
			15/1	0.028
			7/1	0.150
			10	0.020
			934	0.120
			873/8	0.055

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			873/33	0.092
			873/12	0.009
			873/15	0.110
		कुल योग	**79**	**7.247**

सक्ती, दिनांक 28 अगस्त 2024

"प्रारूप-घ"

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 1951.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3405 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-गोपालपुर, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	गोपालपुर	158	0.008
			157/4	0.058
			157/1	0.038
			163/13	0.168
			167	0.120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			136/5	0.140
			136/1	0.153
			163/16	0.008
			132/7	0.066
			138/1	0.135
			131/8	0.108
			137/5	0.045
			131/3	0.090
			131/5	0.178
			131/11	0.027
			131/10	0.027
			131/9	0.027
			121	0.045
			124	0.153
			136/9	0.036
			136/8	0.036
			136/11	0.042
			136/10	0.042
			122	0.030
		कुल योग	**24**	**1.780**

सक्ती, दिनांक 28 अगस्त 2024

"प्रारूप-घ"

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 1953.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3403 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-चन्द्रपुर, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	23	0.218
			22	0.195
			25/1	0.040
			32/2	0.016
			31/2	0.142
			30	0.101
			31/1, 31/3, 31/4	0.124
			32/7, 32/8	0.037
			18/2	0.028
			32/3	0.101
			17	0.020
			36/1, 36/2	0.126
			15/1, 15/2	0.183
			14	0.028
			40	0.041
			42	0.063
			44/1	0.266
			41/1, 41/2, 43	0.040
			67/1	0.062
			67/2	0.101
			66/2	0.131
			65/1	0.063
			65/2	0.063
			65/3	0.057
			64	0.192
			59, 62	0.465
			58	0.207
			57/2	0.044
			57/1	0.076
			303/1	0.013
			304/2	0.061
			389/2	0.106
			389/3	0.116
			304/3	0.061
			388/1	0.048
			388/2	0.147
			393/2	0.048

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			393/3	0.049
			393/4	0.045
			392	0.02
			396/1	0.071
			737	0.315
			735/3	0.291
			1	0.072
		कुल योग	**51**	**4.693**

बालेश्वर राम
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th July 2024

No. 953/Confdl./2024/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Kamya Iyer, Additional Judge to I Civil Judge Junior Division, Raigarh at Gharghora, Gharghora, She is hereby, permitted to prefix the title "Smt." before her name on account of her marriage. It is directed that in all her records, her name be changed as "Smt. Kamya Iyer" in place of "Ku. Kamya Iyer" and to incorporate the name of her husband "Shri Dwijendra Nath Thakur" in place of her father's name in all her service records.

By the Order of Hon'ble the Chief Justice,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.